

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(2)

पत्रांक : 146 / प्र0अ0-भवन / जोन-2 / R.H / 2013-14 दिनांक 21 / 12 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर उपविभाजन/पंक्तिबद्ध आवास (Row Housing) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री दुर्गादास पुत्र स्व0 हीरानन्द एवं श्री भीमन दास द्वारा भूखण्ड संख्या-84, 85, एवं 101, उपविभाजित भूखण्ड संख्या-84, 85, 101/6 एवं उपविभाजित सं0-84, 85, 101/7 लूकरगंज इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित उपविभाजन/पंक्तिबद्ध आवास (Row Housing) मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. प्रत्येक इकाई पर 01 वृक्ष लगाना होगा तथा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का उपयोग/अधिभोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की N.O.C पत्रांक 377/STCE/13 दिनांक 28.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
7. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. स्थल पर प्रस्तावना के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कर इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, यदि आन्तरिक विकास व्यय में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो वह निर्माण/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
9. स्थल पर निर्मित पुराने निर्माण को स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में ध्वस्त कराना होगा, जिससे जन-धन की हानि न होने पाये।
10. प्रासंगिक मानचित्र 08 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है। निर्मित भवनों का उपयोग एकल आवासीय प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, तलो का विक्रय तथा भवनों का उपविभाजन अनुमन्य नहीं होगा।

Continued

11. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
13. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
14. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
15. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
16. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
17. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

21.12.13

प्रभारी अधिकारी (त०स०)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद



KEY PLAN
SCALE-NTS.

| PARTICULAR AREA STATEMENT | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| S.No. | PLOT NOS | Area | | TOTAL |
| | | sqyd | Sqmt | |
| 1 | RH-1 | 102.90 | 86.10 | 117.74 |
| 2 | RH-2 | 140.82 | 117.74 | 117.74 |
| 3 | RH-3 | 125.09 | 104.59 | 104.59 |
| 4 | RH-4 | 128.43 | 108.22 | 108.22 |
| 5 | RH-5 | 133.78 | 111.86 | 111.86 |
| 6 | RH-6 | 135.51 | 113.30 | 113.30 |
| 7 | RH-7 | 104.87 | 87.68 | 87.68 |
| 8 | RH-8 | 140.44 | 124.95 | 124.95 |
| 9 | TOTAL PLOT AREA | | 854.44 | |

| MAIN AREA STATEMENT | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| S.No. | Particular of item | Sqmt | Sqmt |
| 1 | TOTAL PLOT AREA (AS PER BASE BED) | 13187.74 | 1226.10 |
| 2 | TOTAL PLOT AREA (AS PER SITE) | 12970.34 | 1206.81 |
| 3 | AREA UNDER ROAD WIDENING | 150.59 | 13.99 |
| 4 | AREA UNDER INTERNAL ROAD | 2894.70 | 269.11 |
| 5 | AREA UNDER GREEN SPACE | 734.88 | 68.27 |
| 6 | NET PLOT AREA (D-4-B) | 8197.19 | 854.44 |

MASTER SITE PLAN /
SEWER LAYOUT PLAN
SCALE 1:200

LEGEND:-
ELECTRIC LINE = - - -
SEWER LINE = - - -

DRAIN/W/W HARVESTING
WATER SUPPLY LINE
LAYOUT PLAN
SCALE 1:200

LEGEND:-
DRAIN = ~~~~~
R/W HARVESTING = - - -
WATER LINE = - - -

PROJECT - PROPOSED ROW (TRIPLEX) HOUSING AT PLOT NO. 84.85 AND 101 (UPVIBHAJIT SANKHYA 84.85, 101/6 AND UPVIBHAJIT SANKHYA 84.85, 101/7), LUKERGANJ, ALLAHABAD.


OWNER - 1. MR. DURGA DAS &
2. MR. BHEEMAN DAS
BOTH S/D LATE HIRANAND R/O 177, LUKERGANJ, ALLAHABAD.




OWNER
Hemant Kumar Singh
Durga Das
1. MR. DURGA DAS &
2. MR. BHEEMAN DAS
BOTH S/D LATE HIRANAND
R/O 177, LUKERGANJ, ALLAHABAD.

THIS IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN IS AS PER BY LAWS OF 2008 AND MASTER PLAN 2021


Akhil Singh
AKHILESHWAR SINGH
ARCHITECT
B.Arch, M.E., C.O.A.
ARCHITECT




| AREA STATEMENT (RH-1) | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| S.No. | Particular of Plot | Items | Area sqft Sqmt |
| 1 | RH-1 | TOTAL PLOT AREA | 926.78 86.10 |
| 2 | | PRO % GROUND COVERAGE | 62.49 |
| 3 | | PRO BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR | 579.10 53.80 |
| 4 | | PRO OPEN AREA AT GROUND FLOOR | 347.68 32.30 |
| 5 | | PRO BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR | 644.12 59.94 |
| 6 | | PRO BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR | 593.83 55.15 |
| 7 | | PRO TOTAL BUILTUP AREA | 1816.86 168.79 |
| 8 | | PROPOSED F.A.R. | 1.90 |
| 9 | | PRO BUILTUP AREA OF MUMTY | 96.12 8.93 |
| 10 | | PRO BUILTUP AREA OF PORTICO | 167.49 15.56 |
| 11 | | CAR PARKING PROVIDED | 1 NO. |
| 12 | | PRO TOTAL HT OF THE BUILDING | 10.5 MT. |




| AREA STATEMENT (RH-2) | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| S.No. | Particular of Plot | Items | Area Sqft Sqmt |
| 1 | RH-2 | TOTAL PLOT AREA | 1095.80 101.74 |
| 2 | | PRO % GROUND COVERAGE | 57.32 |
| 3 | | PRO BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR | 734.00 68.19 |
| 4 | | PRO OPEN AREA AT GROUND FLOOR | 323.80 30.15 |
| 5 | | PRO BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR | 707.83 65.73 |
| 6 | | PRO BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR | 625.07 58.07 |
| 7 | | PRO TOTAL BUILTUP AREA | 2066.90 192.98 |
| 8 | | PROPOSED F.A.R. | 1.63 |
| 9 | | PRO BUILTUP AREA OF MUMTY | 140.51 13.04 |
| 10 | | PRO BUILTUP AREA OF PORTICO | 148.06 13.76 |
| 11 | | CAR PARKING PROVIDED | 1 NO. |
| 12 | | PRO TOTAL HT OF THE BUILDING | 10.5 MT. |



| AREA STATEMENT (RH-3) | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| S.No. | Particular of Plot | Items | Area Sqft Sqmt |
| 1 | RH-3 | TOTAL PLOT AREA | 1105.81 104.39 |
| 2 | | PRO % GROUND COVERAGE | 65.24 |
| 3 | | PRO BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR | 659.24 61.01 |
| 4 | | PRO OPEN AREA AT GROUND FLOOR | 447.57 41.58 |
| 5 | | PRO BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR | 652.82 60.63 |
| 6 | | PRO BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR | 656.94 61.08 |
| 7 | | PRO TOTAL BUILTUP AREA | 1966.90 182.72 |
| 8 | | PROPOSED F.A.R. | 1.77 |
| 9 | | PRO BUILTUP AREA OF MUMTY | 117.65 10.83 |
| 10 | | PRO BUILTUP AREA OF PORTICO | 155.43 14.44 |
| 11 | | CAR PARKING PROVIDED | 1 NO. |
| 12 | | PRO TOTAL HT OF THE BUILDING | 10.5 MT. |



| AREA STATEMENT (RH-4) | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| S.No. | Particular of Plot | Items | Area Sqft Sqmt |
| 1 | RH-4 | TOTAL PLOT AREA | 1164.80 108.22 |
| 2 | | PRO % GROUND COVERAGE | 61.50 |
| 3 | | PRO BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR | 717.31 66.84 |
| 4 | | PRO OPEN AREA AT GROUND FLOOR | 447.57 41.58 |
| 5 | | PRO BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR | 675.23 62.73 |
| 6 | | PRO BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR | 641.10 59.59 |
| 7 | | PRO TOTAL BUILTUP AREA | 2023.64 188.93 |
| 8 | | PROPOSED F.A.R. | 1.74 |
| 9 | | PRO BUILTUP AREA OF MUMTY | 117.65 10.83 |
| 10 | | PRO BUILTUP AREA OF PORTICO | 155.43 14.44 |
| 11 | | CAR PARKING PROVIDED | 1 NO. |
| 12 | | PRO TOTAL HT OF THE BUILDING | 10.5 MT. |



| AREA STATEMENT (RH-5) | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| S.No. | Particular of Plot | Items | Area Sqft Sqmt |
| 1 | RH-5 | TOTAL PLOT AREA | 1204.00 111.80 |
| 2 | | PRO % GROUND COVERAGE | 61.26 |
| 3 | | PRO BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR | 717.31 66.84 |
| 4 | | PRO OPEN AREA AT GROUND FLOOR | 485.69 45.34 |
| 5 | | PRO BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR | 668.00 62.00 |
| 6 | | PRO BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR | 668.00 62.00 |
| 7 | | PRO TOTAL BUILTUP AREA | 2122.21 196.50 |
| 8 | | PROPOSED F.A.R. | 1.74 |
| 9 | | PRO BUILTUP AREA OF MUMTY | 117.65 10.83 |
| 10 | | PRO BUILTUP AREA OF PORTICO | 155.43 14.44 |
| 11 | | CAR PARKING PROVIDED | 1 NO. |
| 12 | | PRO TOTAL HT OF THE BUILDING | 10.5 MT. |

PROJECT- PROPOSED ROW (TRIPLEX) HOUSING AT PLOT NO. 84,85 AND 101 (UPVIBHAJIT SANKHYA 84,85,101/6 AND UPVIBHAJIT SANKHYA 84,85,101/7), LUKERGANJ, ALLAHABAD.

OWNER- 1. MR. DURGA DAS & 2. MR. BHEEMAN DAS BOTH S/O LATE HIRANAND R/D 177, LUKERGANJ, ALLAHABAD.



DRAWN BY: *[Signature]*

1. MR. DURGA DAS & 2. MR. BHEEMAN DAS BOTH S/O LATE HIRANAND R/D 177, LUKERGANJ, ALLAHABAD.



THIS IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN IS AS PER BY LAWS OF 2008 AND MASTER PLAN 2021 ARCHITECT

[Signature]
AKHILESHWAB SINGH
ARCHITECT
B.A.C., M.E., C.C.A.